

254
22

वकील उभापद्ध ~~का~~ एवं
उन्हे पदाकादान को रद्द का आवाज
लगाई गई कोई हाजिर जबाब नहीं
आया मूलवाद भी अदम हाजिरी व
पैरवी के खारिज ले चुका है आर,
मूल वाद भी रोजानी के प्रत्यक्ष
अदम हाजिरी व अदम पैरवी के खारिज
दिया जाता है पदावकी के हाल मुता
लेक संलग्न मूल वाद रहे

१०
मुंबई न्यायालय
कोठापुर (राज.)